न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 83/2023 (2023/231)

1. छोटूदीन पुत्र अमीरदीन
2. मिश्रीदीन पुत्र अमीरदीन
   समस्त जाति पिनारा निवासी खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर ———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. चांदखां पुत्र सुल्तानखां जाति पिनारा निवासी खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री सीताराम कुमावत – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
590–560	27 33 34 485	0.16 0.13 0.25 0.47	चाही 1 बारानी 1 बारानी 1 चाही 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 1.01 हैक्टर	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। दिनांक 16.04.2023 को प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की सुरक्षार्थ तारबन्दी करवाने हेतु गया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को तारबन्दी करने में बाधा उत्पन्न की तथा आराजीयात के सीमा चिन्हों को नष्ट कर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है जिससे प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हो गया है एवं यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम खवास तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 590–560 में दर्ज खसरा नम्बर 27, 33, 34, 485 किता 4 कुल रकबा 1.01 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner